हलधर महतो एवं उपेन्द्र नारायण उराँव सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के दो दिवसीय गढ़वा जिला का भ्रमण प्रतिवेदन।

दिनांक :– 13.02.2019

1. 07.00 बजे अपराह्न परिसदन, गढ़वा आगमन एवं समीक्षा बैठक।

दिनांक :– 14.02.2019

1. 9.00 बजे पूर्वाह्न मेराल प्रखण्ड भ्रमण एवं निरीक्षण।
2. 02.00 बजे अपराह्न भ्रमण से संबंधित मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह सिविल सर्जन NFSA और इसके क्रियान्वयन पर अधिकारियों के साथ चर्चा।

क्षेत्र भ्रमण के समय टीम में शामिल सदस्य

प्रभारी AGM मेराल/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी गढ़वा/पणन अधिकारी मेराल,/श्री सुरेश कोरवा, सदस्य पंचायत समिति, कुशमाही पंचायत।

विस्तृत क्षेत्र भ्रमण प्रतिवेदन

राज्य खाद्य आयोग की टीम को अज्ञात स्त्रोतों से जानकारी मिली थी कि ग्राम– गोबरदहा, पंचायतः– चामा, प्रखण्ड– मेराल के सभी विशिष्ट जनजाति के लाभुकों को डाकिया योजना अंतर्गत सीलबन्द बोरी में अनाज घर पहुंचाकर नहीं दिया जाता है। बल्कि सभी को चामा जाकर राशन दुकान से स्वयं गाड़ी भाड़ा कर लाना पड़ता है। जिसमें प्रति परिवार प्रतिमाह 40रू० (जब टेम्पो से लाते हैं) एवं 50 रू० (जब टेक्स गाड़ी से लाते है) भाड़ा लगता है।

खाद्य आयोग की टीम को गोबरदहा कोरबा टोला जाने के क्रम में आसिर मोहम्मद के घर ले जाया गया जहाँ घर में बीबी रूकसाना मिली। उनसे पूछताछ के क्रम में बीबी रूकसाना ने बताया कि उन्हें 1 किलों कम अनाज मिलता है। इनका राशन कार्ड संख्या 20200147524 है। टीम के साथ ही चल रहे, MO, से इस संबंध में तत्काल कम दिये जाने वाले अनाज की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया गया। गोबरदहा गांव में दूसरी छोर पर अवस्थित कोरवा टोला में विश्वनाथ कोरवा और बिनोद कोरवा से मुलाकात हुई। दोनों ने बताया कि पिछले 1 साल से उनका राशन कार्ड रद्द हो गया है और अब तक नहीं बना है। वें पिछले 1 साल से राशन से वंचित हैं। ज्ञातव्य हो कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश D-O No. 6(4)/2003–PDI दिनांक 03.06.2003 के कण्डिका 3 के अनुसार सभी विशिष्ट जनजाति के परिवार AAY के हकदार हैं। पुनः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 30 के अनुसार दूरस्थ, पहाड़ी एवं जनजाति क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए जहाँ पहुंचना कठिन है विशेष ध्यान देंगीं। इसी के आलोक में झारखण्ड सरकार खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के पत्रांक खा०प्र०–01/डाकिया योजना/7–7/2016– 713 दिनांक 20.02.2017 के अनुसार इनकों PVTG डाकिया योजना के तहत् प्रति माह सीलबंद बोरी में 35 कि०ग्रा० अनाज निः शूल्क घर तक पहुचाकर दे दिया जाना सुनिश्चित होना है।

उपरोक्त, आदेश , परिपत्र एव राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 30 के आलोक में निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त दोनों पीड़ीत परिवारों को तत्काल PVTG डाकिया योजना अंतर्गत AAY का कार्ड उपलब्ध कराकर अनाज दिलाना सुनिश्चित किया जाए।

आहार पोर्टल से प्राप्त गढ़वा जिले के सभी विशिष्ट जनजाति के परिवारों की सूची संलग्न **(संलग्नक–1)** करते हुए आग्रह है कि तत्काल जिले में एक बार इस सूची की समीक्षा कर सुनिश्चित कर लिया जाए कि कोई भी PVTG परिवार डाकिया योजना से वंचित नहीं हो। सूची को आयोग की वेबसाइट http://www.jharkhandsfc.in/pdf/pvtg_lst_2018/garhwa.pdf पर भी देखा जा सकता है।

इसी टोला के धूरविगन कोरवा एवं रामरतन कोरवा, दोनों ने कहा कि उनको अनाज चामा जाकर डीलर के यहाँ से लाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमलोग टोला के सभी लोग टेम्पो से जाकर अनाज ले कर आते है। जिसमें प्रति माह 40 रू० भाड़ा लगता है(बयान संलग्न **संलग्नक–2**)।

ज्ञातव्य हो कि झारखण्ड सरकार के डाकिया योजना अंतर्गत पत्रांक खा०प्र०–01/डाकिया योजना/7–7/2016– 713 दिनांक 20.02.2017 के अनुसार विशिष्ट जनजाति के परिवारों को सीलबन्द बोरी में प्रतिमाह 35 कि०ग्रा० अनाज निशुल्क दिया जाना है। यहाँ इसका उल्लंघन हुआ है।

अतः संबंधित पणन पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि पूरे चामा पंचायत के सभी लाभुकों को पिछले एक वर्ष में उनके द्वारा खर्च किया गया अतिरिक्त रकम अर्थात 12 माह X 40 रू० { (जिन्हें 40 रू० भाड़ा लगा है) तथा 12 माह X 50 रू० (जिन्हें 50 रू० भाड़ा लगा है) } प्रतिपूर्ति भुगतान सुनिश्चित कर आयोग को प्रमाण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावें। रामरतन कोरवा जो पेंशन के भी हकदार है, को पेंशन भी नहीं मिलता है। साथ चल रहे पणन पदाधिकारी गुलाम रब्बानी ने कहा कि धूरविगन कोरवा एवं रामरतन कोरवा को एक सप्ताह के अन्दर अंत्योदय योजना के अंतर्गत कार्ड बनाकर डाकिया योजना के माध्यम से अनाज वितरण सुनिश्चित कर दिया जाएगा। टीम के ही साथ चल रहे प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गढ़वा ने टीम को आश्वस्त किया कि रामरतन कोरवा को एवं अन्य छुटे हुए परिवारों को भी पेंशन योजना से जोड़ने की प्रक्रिया तत्काल आरम्भ कर दी जाएगी।

खाद्य आयोग की टीम ने साथ चल रहे जिले की टीम को तत्काल सुझाव दिया कि सभी विशिष्ट जनजाति के गाँवों में एक बार पुनः सर्वेक्षण करा कर सुनिश्चित कर लिया जाए कि गोबरदहा के विश्वनाथ कोरवा एवं विनोद कोरवा की तरह अन्य विशिष्ट जनजाति के परिवार कहीं डाकिया योजना से वंचित न हों। यहाँ यह बताना उचित होगा कि खाद्य आयोग की टीम जब गोबरदहा गाँव के कोरवा टोला जा रही थी तो रास्ते में श्री सुरेश कोरबा मिले। पूछने पर उन्होंने बताया कि वे चामा पंचायत समिति के सदस्य है। उन्हें टीम ने साथ चलने का आग्रह किया तो वे भ्रमण के दौरान टीम के साथ ही रहे। उन्होंने गोबरदहा पंचायत भ्रमण के समय धूरविगन कोरवा, रामरतन कोरवा एवं आगे कुशमाही आंगनबाड़ी केन्द्र एवं राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोबरदहा में वर्णित प्रतिवेदन का मौखिक रूप से सत्यापन किया। गोबरदहा के कोरवा टोला के 6 साल से छोटे सभी बच्चें आंगनबाड़ी केन्द्र की सेवा से वंचित है क्योंकि आसपास बच्चों की पहुंच में कोई भी आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं है।

ज्ञातव्य हो कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार आंगनबाड़ी केन्द्र के सार्वभौमिकी करण के तहत 6 साल से छोटी उम्र के सभी बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र से जोड़ना है। विशिष्ट जनजाति समूह के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति अन्य समुदाय के बच्चों की स्थिति से काफी खराब है। अतः जिला प्रशासन से आग्रह है कि कोरवा टोला एवं आसपास के विशिष्ट जनजाति समूह के 6 साल से छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र से जोड़ने का प्रबंध करने की व्यवस्था करें।

राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय, गोबरदहा

प्रधानाध्यापक	अब्दुल कलीम अंसारी,
विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष	कलाम खान,
बच्चों की उपस्थिति	136

विद्यालय में भ्रमण के दिन बन रहे भोजन की मात्रा एवं गुणवत्ता अच्छी पाई गई । दाल में मसूर दाल और ताजी सब्जियों का उपयोग हो रहा था। स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के अनुसार मध्याह्न भोजन नियमित है एवं प्रबंधन समिति के सदस्य समय–समय पर इसकी पूछ–ताछ एवं देख रेख करते रहते हैं। गोबरदहा के ही सड़क किनारे स्थित नन्दू कोरवा एवं जागो देवी (दोनों विशिष्ट जनजाति के परिवार) ने बताया कि उन्हें प्रतिमाह अनाज मिलता है लेकिन चामा जाकर डीलर के यहाँ से लाना पड़ता है। राशन लाने में प्रतिमाह 50 रू० भाड़ा खर्च करना पड़ता है (हस्ताक्षरयुक्त बयान संलग्न) ।

गोबरदहा से वापसी के क्रम में कुशमाही गांव में बिल्कुल सड़क के किनारे आंगनबाड़ी केन्द्र कुशमाही मिला। समय लगभग 12.00 बजे अपराह्न। केन्द्र में न तो सेविका (प्रभा देवी) और न ही सहायिका (मीना देवी) मिली। दोनों अनुपस्थित थें। कुल 7 बच्चे जमीन पर बैठ कर खिचड़ी खा रहे थें जिसमें से दाल गायब था **(संलग्नक–3)** । चावल में हल्दी देकर पकाया गया था। केन्द्र में बच्चों को चन्दन कुमार रवि जो

कि आंगनबाड़ी सहायिका मीना देवी का बेटा बच्चों को खाना खिला रहा था। पूछताछ के क्रम में चन्दन कुमार रवि उम्र लगभग, 13–14 वर्ष ने बताया कि रोज वहीं बच्चों को खाना बनाकर खिलाता है। वहीं पर उपस्थित कुशमाही गांव के प्रकाश परहिया ने बताया कि केन्द्र कभी कभी ही खुलता है। आंगनबाड़ी केन्द्र हमेशा नहीं खुलता है (लिखित बयान संलग्न **संलग्नक–2**)। केन्द्र से संबंधित कोई भी दस्तावेज केन्द्र में नहीं मिला और न ही उपलब्ध करवाया गया।

आंगनबाड़ी केन्द्र निरीक्षण, अवलोकन एवं लोगों से पूछताछ से पता चलता है एवं प्रतीत होता है कि आंगनबाड़ी केन्द्र का यहाँ होना या न होना बराबर है। विभाग की ओर से किसी भी तरह के पर्यवेक्षण का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। यहाँ यह याद दिलाना उचित होगा कि आंगनबाड़ी केन्द्र के आसपास की आबादी विशिष्ट जनजाति समुदाय की है जिनके पोषण और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जिला प्रशासन से आग्रह है कि इस पर विशेष रूप से संज्ञान लें। चन्दन कुमार रवि (उम्र लगभग 13–14 वर्ष से जब पूछा गया कि वह विद्यालय क्यों नहीं गया तो उसने बताया कि विद्यालय में खाना नहीं मिलता है इसलिए नहीं जाते है। विद्यालय का नाम उसने पेशका बताया। साथ ही यह भी बताया कि विद्यालय काफी दूर है। आयोग की टीम साथ में चल रहे अधिकारियों की टीम के साथ ढूंढते हुए उत्क्रमित उच्च विद्यालय पेशका (कोड संख्या – 20010505201) पहुंची जो कि पेशका गांव के बिल्कुल मध्य में अवस्थित है। समय लगभग 1.00 बज रहा था। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से विद्यालय प्रबंधन समिति कार्यरत नहीं है न ही इसका गठन हुआ है। प्रधानाध्यापक ने बताया कि आज 101 (एक सौ एक) बच्चों का खाना बना है और **SMS** भेजा जा चुका है जबकि टीम के भ्रमण के समय तक मध्याह्न भोजन नहीं दिया गया था। खाने की मात्रा को देखने पर स्पष्ट था कि अधिकतम 4 किलों ग्राम चावल ही बना हुआ था जो कि उपस्थित बच्चों की संख्या के प्रतिकुल थी।

ऑनलाइन **SMS** की जांच करने पर पता चला कि प्रधानाध्यापक द्वारा दिनांक 14.02.2019 को 101 (एक सौ एक) बच्चों का रिपोर्ट भेजा गया है जो कि स्थल निरीक्षण में स्पष्ट तौर पर गलत पाया गया। दिनांक 13.02.2019 को 92 बच्चों का एवं दिनांक 12.02.2019 को 137 बच्चों का **SMS** रिपोर्ट भेजा गया है। स्पष्ट है कि विद्यालय से गलत रिपोर्टिंग हो रही है एवं इसका निगरानी एवं पर्यवेक्षण मध्याह्न भोजन कोषांग से न के बराबर है।

उपायुक्त गढ़वा से अनुरोध है कि मध्याह्न भोजन क्रियान्वयन पर भी विशेष रूप से संज्ञान लें।

परिसदनः– <u>गढ़वा में जिला के अधिकारियों के साथ बैठक</u>

उपस्थिति जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक/जिला समाज कल्याण पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह सिविल सर्जन/पणन पदाधिकारी।

सर्वप्रथम अधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण का उपरोक्त Feed back दिया गया एवं उठाये गए बिन्दुओं पर तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया गया। तत्पश्चात राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की विभिन्न धाराओं, हकदारियाँ, हकदारियों का अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत निवारण प्रणाली एवं खाद्य आयोग के कार्य एवं प्रक्रिया से अवगत कराया गया एवं अनुरोध किया गया कि झारखण्ड राज्य के भोजन, पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का समुचित अनुपालन अत्यावश्यक हो जाता है और सभी इसे सुनिश्चित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने में कमी नहीं रखेंगे।

<u>अनुशंसा</u>

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सभी योजनाओं के प्रावधानों एवं इसके संबंध में किस स्थिति में इसका अनुपालन नहीं होता है से संबंधित दीवार लेखन– सभी संबंधित केन्द्रों में अंकित करना सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ ही शिकायत निवारण प्रणाली संबंधी पूरी जानकारी, फोन नं० सहित लिखी जाए।
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् राज्य सरकार द्वारा निर्गत लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2019 के कण्डिका 7 में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। सुलभ संदर्भ हेतु नीचे बॉक्स देखें।

अयोग्य लाभार्थियों द्वारा धोखाधड़ी किए जाने की स्थिति में दण्डात्मक प्रावधान

(1) वैसे परिवार जिन्हें किसी कारणवश पूर्व विक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार अथवा अंत्योदय परिवार की श्रेणी का राशन कार्ड निर्गत किया जा चुका हो और जो सरकार द्वारा निर्धारित अपवर्जन मानक के अन्तर्गत आते हों अर्थात वैसे परिवार जो इस यथोक्त श्रेणी के कार्ड योग्यता नहीं रखते हो, उनके द्वारा राशन कार्ड का सरेन्डर अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने एवं खाद्यान्न का उठाव करने पर अग्रेतर कंडिका के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

(2) यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के अधीन निर्धारित अपवर्जन मानकों के अन्तर्गत आता है अथवा वह गलत सूचना देते हुए अन्त्योदय/पूर्वविक्ता राशन कार्ड प्राप्त करता है; तो उसके विरूद्व निम्नांकित कार्रवाई की जायेगी।

(क) आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।

(ख) लिए गए राशन की वसूली राशन लिए जाने की तिथि से भू–राजस्व के बकाए के सदृश्य बाजार दर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज पर वसूल की जायेगी।

(ग) यदि वह भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित हो, तो उपरोक्त के अलावा उस पर विभागीय कार्यवाही भी प्रारंभ की जायेगी।

3. जिला स्तरीय मध्याह्न भोजन कोषांग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि मध्याह्न भोजन योजना हेतु अनुशंसित तय मेनू का अनुपालन हो।

4. आंगनबाड़ी – आंगनबाड़ी केन्द्रों से प्रतिदिन 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए दिया जाने वाला गर्म पकाया भोजन की उपलब्धता राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सुनिश्चित किया जाए। आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रति माह बच्चों का वजन सुनिश्चित किया जाए।

ग्रोथ मोनिटरिंग चार्ट का अनुपालन एवं आवश्यक सुझाव सुनिश्चित करना अति आवश्यक है।

5. आंगनबाड़ी सेविका एवं ए०एन०एम दोनों के द्वारा उपलबध सेवाओं का सुनिश्चित करना।

6. ससमय प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना का भुगतान सुनिश्चित किया जाए अन्यथा इस योजना की उपयोगिता निरर्थक हो जाएगीं।

7. जिले के सभी विशिष्ट जनजाति परिवार से आच्छादित गांवों में परिवारों का पुनः निरीक्षण कराकर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि कोई भी विशिष्ट जनजाति का परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्दर वर्णित कानूनी हक से वंचित न रह गया हो।

8. जिले के सभी विशिष्ट जनजाति समुदाय के परिवारों के लिए स्वास्थ्य कार्ड एवं प्रत्येक तीन माह पर परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित किया जाए।

9. प्रत्येक विशिष्ट जनजाति के परिवार के लिए सरकार द्वारा विशिष्ट जनजाति पेंशन योजना का ससमय भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

10. विशिष्ट जनजाति के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा लागू डाकिया योजना का अनुपालन शतप्रतिशत नियम के अनुकूल 35 कि०ग्रा० अनाज सील पैक में घर पहुंचाकर दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11. विशेष :– गढ़वा जिले के सभी विशिष्ट जनजाति के परिवारों की सूची (आहार पोर्टल से प्राप्त) संलग्न करते हुए कहना है कि कृपया इन परिवारों को मिलने वाले हकदारियों को सुनिश्चित किया जाए।

सूची के इतर अगर किसी गांव/टोला में कोई परिवार छूट गया है तो इस सूची के साथ मिलान करते हुए जोड़ा जा सकता है (संलग्नक–1)।

ह0/–
(उपेन्द्र नारायण उराँव)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।

ह0/–
(हलधर महतो)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।

ज्ञापांक :– रा०खा०आ० (भ्रमण)04 / 2019 – 963 राँची, दिनांक :– 25.03.19

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव / प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग / सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग / सचिव, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.3.19

(मदन मोहनपति त्रिपाठी)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांक :– रा०खा०आ० (भ्रमण)04 / 2019 – 963 राँची, दिनांक :– 25.03.19

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आप्त सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.3.19.

(मदन मोहनपति त्रिपाठी)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांक :– रा०खा०आ० (भ्रमण)04 / 2019 963 राँची, दिनांक 25.03.19

प्रतिलिपिः– उपायुक्त / जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी / जिला आपूर्ति पदाधिकारी / जिला शिक्षा अधीक्षक / जिला समाज कल्याण पदाधिकारी / बाल विकास परियोजना पदाधिकारी / मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह सिविल सर्जन / पणन पदाधिकारी मेराल,गढ़वा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.3.19

(मदन मोहनपति त्रिपाठी)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

O/C